कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर,
सहारनपुर रोड देहरादून।

पत्रांक।384/विविध/17–18 दिनांक 18 .1.18

–: कार्यालय ज्ञापः–

कृपया सचिव आवास/नियामक प्राधिकारी, भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण देहरादून के पत्र संख्या 959/उडा–222(1)/17–18 दिनांक 29.12.2017 की प्रति संलग्न करते हुये निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष प्राधिकरण की भवन उपविधि के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्राविधानों के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण परियोजना मानचित्र के सापेक्ष ही वास्तुविद/आवेदक द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर ही अधिभोग प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जाय। उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः–यथोयक्त।

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।

2–नगर नियोजक/अधीक्षण अभि0/अधिशासी अभि0/समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त अवर अभियन्ता म0दे0वि0प्रा0को अनुपालनार्थ।

3–आई0टी0सैल/सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आ0का0हेतु।

4–समस्त ड्राफ्समैन,लेखपाल, मानचित्र व वाद लिपिकों को अनुपालनार्थ।

5–मुख्य लिपिक, म0दे0वि0प्रा0 को गार्ड पत्रावली हेतु।

सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

दूरभाष / फैक्स : 0135–2719500

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

(Real Estate Regulatory Authority)

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
Website:- www.uhuda.org.in E-mail- uhudauk@gmail.com

पत्रांकः–959/उडा–222(1)/2017–18 Secretary दिनांकः 29 दिसम्बर, 2017

V.C.
01/01/18

प्रेषक,
नियामक प्राधिकारी,
भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1– समस्त उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

2– उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3– उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

4– सचिव,
दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

5– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

विषय– स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि प्रदेश भर में चल रही Real Estate परियोजनाओं के स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय स्वीकृत सम्पूर्ण मानचित्र के सापेक्ष मात्र पूर्ण हुये एक अथवा दो ब्लॉक/भाग का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। जिससे परियोजना के आंतरिक विकास कार्य प्रमोटर द्वारा पूर्ण नहीं किये जा रहे हैं, जिससे परियोजना से सम्बन्धित आंवटियों के हित प्रभावित होने के साथ ही रेरा के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि प्रमोटर द्वारा सम्पूर्ण परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि प्राधिकरण स्तर से स्वीकृत सम्पूर्ण मानचित्र के सापेक्ष ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कृष्ट करें।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव,आवास/नियामक प्राधिकारी,
भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण,
देहरादून।

I 3174 1-1-18

2877 01/1/18

AE, Map Cell

Secy 2/1

2/1/18

दूरभाष / फैक्स : 0135-2719500

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

(Real Estate Regulatory Authority)

राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
Website:- www.uhuda.org.in E-mail- uhudauk@gmail.com

पत्रांकः-959/उडा-222(1)/2017-18 दिनांकः 29 दिसम्बर, 2017

प्रेषक,

नियामक प्राधिकारी,
भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1- समस्त उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

2- उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

3- उपाध्यक्ष,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

4- सचिव,
दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

विषय- स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि प्रदेश भर में चल रही Real Estate परियोजनाओं के स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय स्वीकृत सम्पूर्ण मानचित्र के सापेक्ष मात्र पूर्ण हुये एक अथवा दो ब्लॉक/भाग का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा रहा है। जिससे परियोजना के आंतरिक विकास कार्य प्रमोटर द्वारा पूर्ण नहीं किये जा रहे हैं, जिससे परियोजना से सम्बन्धित आंवटियों के हित प्रभावित होने के साथ ही रेरा के अन्तर्गत ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही कि प्रमोटर द्वारा सम्पूर्ण परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि प्राधिकरण स्तर से स्वीकृत सम्पूर्ण मानचित्र के सापेक्ष ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव,आवास/नियामक प्राधिकारी,
भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण,
देहरादून।

1956
01/01/18